फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री कालुराम **विपक्षी : श्री गणेश**

किस्म मुकदमा – 75 भू.रा. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 11/19**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 31.12.2021 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प घासा में पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 2 अनुपस्थित हैं। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। नामान्तरकरण सं. 2444 का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में खातेदार पूनमचन्द द्वारा दिनांक 26.08.2013 को विक्रय पत्र निष्पादित किया जिसमें रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2 के साथ अपीलान्ट को भी भूमि विक्रय की। पटवारी हल्का बिना विक्रय पत्र को जांचे केवल मात्र रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के नाम नामान्तरकरण सं. 2444 दिनांक 11.07.2014 स्वीकृत कर दिया, जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के साथ अपीलान्ट भी बराबर का क्रेता होने से विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट का भी नाम दर्ज होना चाहिए था। पत्रावली के अवलोकन से जानकारी में आते ही अपील प्रस्तुत की हैं जो अन्दर मयाद हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। उक्त नामान्तरकरण के अवलोकन से नामान्तरकरण ग्राम पंचायत घासा द्वारा दिनांक 11.07.2014 को पारित किया गया हैं। विक्रय पत्र के अवलोकन से अपीलान्ट भी उक्त विक्रय पत्र में कलम सं. 3 पर क्रेता के रूप में अपीलान्ट का नाम दर्ज हैं। सेवहन से पटवारी द्वारा नामान्तरकरण में अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं किया, जिस कारण अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं हो सका। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण पारित करने में त्रुटि की है जिसे सुधारा जाना आवश्यक हैं। अतः उक्त अपील अपीलाण्ट न्यायहित में आंशिक स्वीकार की जाती है। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं, कि ग्राम पंचायत घासा द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 2444 दिनांक 11.07.2014 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार मावली को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जांच करते हुए साक्ष्य गवाह बयान एवं विक्रय पत्र दिनांक 26.08.2013 के आधार पर नामान्तरकरण पारित करने की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। (मयंक मनीष I.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली Signature Not Verified	

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.21 11:12:03 IST
Reason: SelfAttested